

नीलग पत्र काद संख्या- 68/2018-19

16.11.21

प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अभिलेख पर कारवाई नहीं की जा सकी है।

अभिलेख दिनांक 10.12.21 को रखें।

16.11.21
नीलग पत्र पदा
- एफ -
ओ० अ०
करमांडा (विद्यानाथ)

10.12.21

प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अभिलेख पर कारवाई नहीं की जा सकी है।

अभिलेख दिनांक 11.01.2022 को रखें।

10.12.21
नीलग पत्र पदा
- एफ -
ओ० अ०
करमांडा (विद्यानाथ)

11.01.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिश का तामिला प्रतिलेख प्राप्त है।

पुनः नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 22/03/22 को रखें।

11.01.22
नीलग पत्र पदा
- एफ -
ओ० अ०
करमांडा (विद्यानाथ)

22.3.22

अभिलेख उपस्थापित।

वकील एवं श्री अधिकारी उपस्थित हैं। उनसे पता चला कि मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अतः वकील की कारवाई समाप्त की जाती है।

22.3.22
नीलग पत्र पदा
- एफ -
ओ० अ०
करमांडा (विद्यानाथ)